... को पेश हो।

22-7-22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। बाबत बहस प्रार्थना पत्र अन्तरिम अवसर दिया गया पत्रावली 29-7-22 को पेश हो।

29-7-22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित इकरारनामा अनुसार दक्षिण दिशा से 12 फिट का रास्ता कायम रिकार्ड में शीघ्र रास्ता दर्ज करने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो ~~पत्रावली [illegible] को पेश हो~~ पत्रावली कैसल शुमार होकर निर्णय प्रारूप से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

29.7.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

87 / दावा / 2015

दायरा दिनांक 7.08.2015

पीठासीन अधिकारी

श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1 हीरालाल आयु 75 वर्ष पुत्र नेनकराम जाति बैरवा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

——प्रार्थी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुरी आयु 76 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा निवासी सुमेरगंज मण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

2 रामेश्वर बालिग पुत्र ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी सुमेरगंज मण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

3 चन्द्रकला बालिग पत्नि रामेश्वर जाति बैरवा निवासी सुमेरगंज मण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज

4 राज. राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

——अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251 क आर0टी0एक्ट

उपस्थितः— 1. श्री बालकिशन रायका एडवोकेट

2. श्री धीरज जैन एडवोकेट

<u>निर्णय</u> **दिनांक 29.7.2022**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी की की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं0 34 रकबा 0.66 हैक्ट0 खसरा नं0 35

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

रकबा 0.51 हैक्ट0 कुल किता 2 योग रकबा 1.17 हैक्ट0 ग्राम सुमेरगंज मण्डी तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.07.1999 को अप्रार्थी सं0 1 से क्रय की थी प्रार्थी क्रय शुद्धा कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर खसरा सं0 69, 74 की दक्षिणी मेर से होकर खसरा सं0 34 व 35 की पूर्वी मेर पर होकर अपने खेत पर आता जाता था। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बन्द करने पर अमादा है एवं प्रार्थी के मवेशियों को आने–जाने नहीं देते हैं। रास्ता मांगने पर लड़ाई–झगड़े करते हैं। प्रार्थी का रास्ता बहाल करवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा खण्डनात्मक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया अप्रार्थी क्रम 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा सं0 70 कुँआ पर होकर ख0 सं0 69 व 74 की उत्तरी मेर पर होकर प्रार्थी का कोई रास्ता न तो वर्तमान में है न कभी रहा है। वक्त बेचान हो अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अपनी कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में होकर रास्ता प्रार्थी को दिया गया था। जिसका अंकन निस्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.7.1999 को पंजीकृत हुआ है में भी प्रार्थी द्वारा निष्पादित इकरारनामा दिनांक 23.7.1999 में भी प्रार्थी स्वयं ने भी स्वीकार किया है। प्रार्थी मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने व नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रार्थी की कृषि भूमि के टुकडे करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सर्वथा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश–11 नियम 12 धारा 151 प्रस्तुत कर असल विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत करने का निवेदन किया प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 26.07.1999 की सत्यापित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 34 रकबा 0.66 हैक्ट0 व खसरा नं0 35 रकबा 0.51 हैक्ट0 कृषि भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.07.1999 से अप्रार्थी सं0 1 ओमप्रकाश पुरी से क्रय की गई। पंजीकृत विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

दस्तावेज में विक्रेता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि क्रेतागण विक्रेता की शेष भूमि की दक्षिणी दिशा के रास्ते के अलावा अन्य रास्ता बाबत उपयोग नहीं करेगा।

पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा की छाया प्रति के अवलोकन करने पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य इकरारनामा लिखा गया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से कृषि भूमि खरीद की है। उक्त भूमि पर आने–जाने का रास्ता खरीद शुद्धा भूमि व अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि की दक्षिणी दिशा की मेर से रहेगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व प्रार्थी अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित इकरारनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खसरा सं0 78 गैर मु0 आबादी से शुरू होकर ख0 सं0 74 की पूर्वी मेर के सहारे–सहारे होता हुआ एवं खसरा नं0 74, 69, 33 की दक्षिण मेर के सहारे–सहारे प्रार्थी की कृषि भूमि ख0 नं0 35 की सीमा तक 12 फीट चौड़ाई में निशुल्क रास्ता कायम किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ उक्तानुसार मौके पर रास्ता कायम कराकर राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)